


सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय  
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, आई.टी.ओ.,  
नई दिल्ली।



विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना देने की कृपा करें।

महोदय,

1- यह कि प्रत्येक शुक्रवार को आम सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सड़कों पर 'नमाज पढ़ने के लिये यातायात को एकदम से अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा सड़कों पर बड़े बड़े टेंट तम्बू, शामियाने लगाकर मुख्य मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाता है जबकि मस्जिद पर स्थान उपलब्ध होने के बावजूद 2-3 घंटे के लिये समस्त नागरिकों को बाधा उत्पन्न कराई जाती है क्या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति किस न्यायालय उपलब्ध कराई है कि जो आप बिना किसी अनुमति के सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उसके आर्डर की कापी तथा कोर्ट का आदेश की प्रतिलिपि या दिल्ली सरकार के द्वारा नोटिफिकेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये अन्यथा हमें यह बताये कि उनके द्वारा सड़कों पर जो नमाज पढ़ने के लिये रास्ता या जगह उपयोग की जाती है उसका कितना मुआवजा किस दर से उनसे वसूला जाता है और अब तक दिल्ली पुलिस ने कितने लोगों का चालान किया है और किन-किन लोगों ने आपके विभाग से लिखित अनुमति मांगी है उसका पूर्ण विवरण प्रदान करें।

2- यदि कोई व्यक्ति गली में जागरण या कोई धार्मिक कार्यक्रम करता है तो पुलिस उसके द्वारा परमीशन प्रदान नहीं करती है और पीसीआर वाले आकर उनसे या तो पैसों की मांग करते हैं या उनका सामान को उठाकर ले जाते हैं क्या पुलिस ने पीसीआर को ऐसा कोई अधिकार प्रदान किया है कि वह उनको ऐसा रोकने के लिये प्रावधान किस सरकार और न्यायालय ने दिये हैं क्या पीसीआर व स्थानीय लोगों को इसकी प्रतिलिपियां प्रदान की है इसकी पूर्ण जानकारी दी जाये तथा इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये।

अगर सूचना काफी अधिक मात्रा में है तो उसको डी.बी.डी. के माध्यम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हमें बेबसाइड का हवाला ना दें।

आरटीआई प्राप्त करने का शुल्क 10/-रुपये का पोस्टल आर्डर साथ संलग्न है।

दिनांक : 10/07/2013

भवदीय  
दिनेश चन्द जैन

क्वार्टर नंबर 2, डबल स्टोरी,  
वेलकम फेस-3, सीलम पुर, दिल्ली-53  
मो0न0 9136717875